न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-**01,** कानपुर-नगर।
उपस्थित: सपना त्रिपाठी-I .... उच्चतर न्यायिक सेवा

CNR No. UPKN01-003905-2012
सत्र परीक्षण संख्या-**793/2012**

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. बशीर, पुत्र-अब्दुल्ला,
2. लालू, पुत्र-बशीर,
3. राजू, पुत्र-बशीर,
4. पप्पू कबाड़ी, पुत्र-इब्राहिम, निवासीगण-115/251 मसवानपुर, थाना-कल्यानपुर, कानपुर नगर। ...अभियुक्तगण।

मु0 अ 0 सं0-1131/2010
धारा-323,325,504,506,308 IPC
थाना-कल्यानपुर, जिला-कानपुर नगर।

अपराध की तिथि	28.10.2010
आरोप पत्र पंजीकृत किये जाने की तिथि	27.01.2011
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	14.12.2012
साक्ष्य आरंभ किये जाने की तिथि	21.09.2017
अभियोग को निर्णय हेतु आरक्षित करने की तिथि	19.05.2026
निर्णय की तिथि	03.06.2026
दण्डादेश की तिथि यदि कोई हो तो	04.06.2026

निर्णय

1. सत्र परीक्षण संख्या-793/2012 की पत्रावली में अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू कबाड़ी का विचारण, मु०अ०सं०-1131/2010, धारा-323, 504, 506, 325, 308 IPC थाना कल्यानपुर, कानपुर नगर की पुलिस/विवेचक द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर किया गया है।

2. संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा श्री विजय बहादुर सिंह यादव ने थानाध्यक्ष कल्यानपुर, कानपुर नगर को लिखित तहरीर इस आशय की दी कि दिनांक 28.10.2010 को सायं 7.30 बजे प्रार्थी का लड़का संजय यादव मसवानपुर चौराहे पर चाय की

दुकान पर चाय पी रहा था। उसी समय बशीर, लालू, राजू पुत्र बसी, पप्पू कबाड़ी एक होकर अपने-अपने हाथों में हांकी, सरिया व कुल्हाड़ी लेकर चाय की दुकान पर आये और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। प्रार्थी के लड़के ने जब मना किया तो मारने लगे, जिससे मेरे लड़के संजय यादव को गंभीर चोटें आयी है। शोर सुनकर प्रार्थी, अजय कुमार, सुदामा आदि लोग आ गये और संजय यादव को बचाया। तब उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

3. वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना-कल्यानपुर में मुकदमा अपराध सं0-1131/2010, धारा-323,504,506 भा0 द 0 सं0 अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू के विरूद्ध दिनांक 29.10.2010 को समय 21.50 बजे पंजीकृत हुआ तथा मुकदमे का खुलासा नकल जी0 डी0 में उसी दिन किया गया।

4. प्रकरण की विवेचना महेश चन्द्र पाण्डेय चौकी प्रभारी, आवास विकास-3 द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक ने बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल, समई साक्ष्य बयान गवाहान, बयान एफ.आई.आर. लेखक, बयान गवाह, बयान मजरूब, डाक्टरी मुआयना अवलोकन अंकित किया गया। प्रकरण में धारा 325,308 IPC की बढ़ोत्तरी कर, तमामी विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू कबाड़ी के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा-323,325,504,506,308 IPC अंतर्गत न्यायालय प्रेषित किया गया।

5. न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 02.09.2011 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक 24.09.2012 को मामला विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

6. राज्य के विद्वान ए 0 डी0 जी0 सी0 (क्रिमिनल) व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू कबाड़ी के विरुद्ध धारा-323, 504, 506, 325, 308/34 IPC अंतर्गत दिनांक 14.12.2012 को अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-07, कानपुर नगर द्वारा आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण किये जाने की मांग की।

7. माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2015 के द्वारा उक्त पत्रावली अन्तरित होकर मेरे न्यायालय को प्राप्त हुयी।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने केस को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित अभियोजन साक्षीगण परीक्षित कराये गये -

क्र **0** सं**0**	अभियोजन साक्षी का नाम	साबित कराये जाने वाले प्रपत्र का विवरण
पी**0** डब्लू**0-1**	वादी विजय बहादुर	लिखित तहरीर प्रदर्श क-1

पी**0** डब्लू**0-2**	मजरूब संजय यादव	-
पी**0** डब्लू**0-3**	मुन्नालाल यादव	-
पी**0** डब्लू**0-4**	विवेचक महेश चन्द्र पाण्डेय	नक्शा नजरी प्रदर्श क-2, आरोप पत्र प्रदर्श क-3
पी**0** डब्लू**0-5**	अजय कुमार यादव	-
पी**0** डब्लू**0-6**	सुदामा तिवारी	-
पी**0** डब्लू**0-7**	डा. विकास गुप्ता	आब्जर्वेशन रिपोर्ट प्रदर्श क-4
पी**0** डब्लू**0-8**	पैरोकार सुखवेन्द्र सिंह	एफ.आई.आर. प्रदर्श क-5

9. राज्य की ओर से परीक्षित गवाहान की मुख्य परीक्षा निम्नवत् है:-

10. पी0 डब्लू0-1 विजय बहादुर ने अपने शपथपूर्वक बयान की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं कक्षा-5 तक पढ़ा हूँ। दिनांक 28.10.2010 को सांय 7.30 बजे के करीब मेरा पुत्र संजय यादव मसवानपुर चौराहे पर विनोद चाय वाले की दुकान पर चाय पी रहा था। उसी समय बशीर, लालू, राजू और पप्पू कबाड़ी हाथों में हाकी, सरिया व कुल्हाड़ी लेकर पहुँच गये और मेरे लड़के संजय को गन्दी गन्दी गालियों देने लगे। मना करने पर यह लोग मेरे लड़के को लिये हुए हथियारों से मारने लगे। शोर करने पर अजय कुमार, सुदामा आदि लोग आ गये और मेरे लड़के को बचाया, तब उपरोक्त मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। हम लोग संजय को गाड़ी से कुलवन्ती अस्पताल ले गये, जहाँ उसे आई०सी०यू० में भर्ती किया गया था। अगले दिन मौका निकालकर समय करीब 9.30-10.00 बजे रात थाना-कल्यानपुर गया था, जहाँ मैंने तहरीर देकर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। तहरीर मैंने किसी व्यक्ति से लिखायी थी। उसको पढ़कर मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। शामिल पत्रावली तहरीर को तस्दीक करते हुए गवाह ने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया। इस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। आगे साक्षी ने कथन किया कि मेरे लडके संजय के सिर में चोट आयी थी तथा हाथ की अंगुली की हड्डी टूट गयी थी। कुलवन्ती अस्पताल के बाद मैंने अपने लड़के संजय का इलाज शिखा मेडिकल सेन्टर व कानपुर न्यूरो साइन्सेस अस्पताल में कराया था। मुल्जिमानों के मारने से सिर पर आयी चोटों के कारण मेरा लड़का उल्टा सीधा बड़बड़ाने के साथ चक्कर आने से बेहोश हो जाता था। मेरे लड़के संजय से मुल्जिम बशीर के परिवार वालों से इस घटना के एक-दो दिन पहले कहासुनी हुयी थी। उसी रंजिश के कारण मुल्जिमानों ने मेरे लड़के संजय को मारा पीटा था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था तथा मेरी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था। मैं कुलवन्ती अस्पताल, शिखा मेडिकल सेंटर व कानपुर न्यूरो साइन्सेस अस्पताल के डिस्चार्ज कार्ड, मेडिकल प्रमाण पत्र पत्रावली में दाखिल कर रहा हूं।

11. पी0 डब्लू0-2 संजय यादव ने अपने शपथपूर्वक बयान की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना दिनांक 28.10.2010 समय लगभग 7.30 बजे शाम की है। मैं उस समय ड्यूटी से आकर मसवानपुर चौराहे पर विनोद चाय वाले के यहाँ चाय पी रहा था। तभी वहीं पर राजू, लालू, पप्पू कबाड़ी व बशीर अहमद हथियार के साथ आये थे। राजू के पास कुल्हाड़ी, लालू के पास सरिया, पप्पू कबाड़ी के हाथ में डण्डा और बशीर अहमद के हाथ में हाकी थी। यह लोग मेरे पास पहुँचकर गाली देने लगे। मैंने गाली देने से मना किया तो मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे सिर पर दो चोट, कन्धे पर एक चोट थी। दाहिने हाथ की बीच की ऊँगली टूट गयी थी। मुझे चक्कर आ रहा था और मैं गिर गया था। मुझे बचाने के लिये अजय यादव, सुदामा आये थे। मुझे कुलवन्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब मेरे साथ मारपीट हो रही थी, तब पिताजी ने ही लोगों को चिल्लाकर मदद के लिये बुलाया था। पिताजी ने ही मुझे पहले प्राइवेट अस्पताल में फिर वहीं से मुझे हैलट अस्पताल में भर्ती कराया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। इस घटना के एक दिन पहले अर्थात् 27.10.2010 को मैं जब 7.30 बजे साइकिल से ड्यूटी के लिये निकल रहा था। रास्ते में बशीर के घर के पास छोटे बच्चे रोड पार कर रहे थे। मैंने साइकिल वहीं रोक दी थी तो बशीर व उसके लड़के लालू ने गाली गलौज की थी, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी के लिये चला गया था। इसके बाद उपरोक्त सभी लोगों ने मिलकर मुझे जान से मारने का प्रयासू किया।

12. पी0 डब्लू0-3 मुन्ना लाल यादव ने अपने शपथपूर्वक बयान की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना दिनांक 28.10.2010 समय करीब 7.30 बजे शाम की है। स्थान मसवानपुर चौराहा चाय की दुकान, थाना-कल्यानपुर, कानपुर नगर का है। मैं उस समय अपनी दुकान पर था। उस समय विजय बहादुर यादव सामने चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। संजय यादव भी वहीं पर चाय पी रहा था। तभी दक्षिण की तरफ से अभियुक्तगण बशीर, राजू, लालू, पप्पू कबाड़ी गाली गलौज करते हुए आये। ये लोग विजय बहादुर व संजय को गाली बक रहे थे। बशीर के हाथ में हाकी थी, राजू के हाथ में कुल्हाड़ी, लालू के हाथ में सरिया थी तथा पप्पू कबाड़ी के हाथ में डण्डा था। उसी समय जब संजय यादव ने गाली गलौज देने से मना किया था तो चारों उपरोक्त मुल्जिमानों ने अपने हाथों में लिये हथियारों से संजय को मारना पीटना शुरू कर दिया तो मैंने व मेरे लड़के अजय ने मौके पर जाकर बचाया था। अन्य लोग जो चाय पी रहे थे, उन्होंने बचाया था। उपरोक्त मुल्जिमानों की मारपीट से संजय मौके पर गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया था। मुल्जिमान संजय यादव को मरा समझकर गाली गलौज देते हुए भाग गये थे। संजय यादव को मौके से लोग इलाज हेतु अस्पताल ले गये थे। घटना के बारे में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

13. पी0 डब्लू0-4 महेश चन्द्र पाण्डेय ने अपने शपथपूर्वक बयान की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 29.10.2010 को मैं थाना-कल्यानपुर, कानपुर नगर में उपनिरीक्षक

के पद पर तैनात था। उसी दिन मु0अ0सं0-1131/2010, धारा-323, 504, 506 भा०द०सं० बशीर आदि की विवेचना मुझे प्राप्त हुयी थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त मेरे द्वारा वादी, मजरूव एवं अन्य गवाहों के बयान अंकित किये गये। मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट एवं सी०टी० स्कैन का अवलोकन केस डायरी में किया गया। वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया। गवाहों के बयान एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा-325 व 308 भा०द०सं० की बढोत्तरी की गयी। अन्य साक्ष्य संकलित किया गया। बाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू कबाड़ी के विरूद्ध आरोप पत्र धारा-323, 325, 504, 506, 308 भा०द०सं० न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा नजरी एवं आरोप पत्र को प्रदर्श क-2 में साबित किया है।

14. पी0 डब्लू0-5 अजय कुमार यादव ने अपने शपथपूर्वक बयान की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि यह घटना आज से लगभग 10-11 साल पहले की है। यह घटना समय 7.00-8.00 बजे बीच की है। यह घटना मसवानपुर चौराहे के पास थाना कल्यानपुर कानपुर नगर की है। घटना वाले दिन घटना के समय मैं और मेरे पिता जी अपनी दुकान में मौजूद थे और सामान दे रहे थे। घटनास्थल मेरी दुकान से लगभग 50 मीटर दूर है। घटनास्थल पर हो-हल्ला मच रहा था कि झगड़ा हो गया है। मैं झगड़ा देखने नहीं गया था। घटना के संबंध में पुलिस द्वारा मुझसे पूछताछ नहीं की गई थी न ही बयान लिए गए थे।

15. पी0 डब्लू0-6 सुदामा तिवारी ने अपने शपथपूर्वक बयान की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 28.10.2010 को समय करीब 7.30 बजे मैं व अजय कुमार व उसका पिता मुन्नालाल यादव मसवानपुर चौराहे पर मौजूद थे। चाय की दुकान पर विजय बहादुर सिंह चाय पी रहे थे तथा उनका लड़का संजय मौजूद था। उसी समय बशीर और उनके दोनों लड़के लालू व राजू तथा पप्पू कबाड़ी अपने हाथों में हाकी, सरिया व कुल्हाड़ी लेकर वहाँ आ गये। विजय बहादुर सिंह को गाली गलौज करने लगे, बहुत गन्दी गन्दी गाली देने लगे। विजय बहादुर के लड़के संजय ने गाली देने से मना किया तो उपरोक्त चारों लोग मिलकर संजय यादव के साथ मारपीट करने लगे। बहुत बुरी तरह से मारा, जिससे वह मौके पर बेहोश हो गया था। चारों लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। फिर कुलवन्ती अस्पताल में उसका इलाज हुआ था। संजय यादव की तीन अंगुलियाँ टूट गयी थीं और सिर पर गम्भीर चोटें आयी थीं। बहुत खून निकला था।

16. पी0 डब्लू0-7 डा. विकास गुप्ता ने अपने शपथपूर्वक बयान की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 01.11.2010 को मरीज संजय का एक्सरे लेफ्ट रिस्ट विद हैण्ड किया गया था, जिसमें सेकेण्ड मैटेल कार्पर का फैक्चर व डिजिटल फैलिंग्स ऑफ मिडिल फिंगर का फैक्चर पाया गया था। उस समय मेरे डायग्नोस्टिक सेन्टर में काम करने वाले

डाक्टर अनुराग मिश्रा द्वारा एक्सरे को पढ़ा गया था तथा आब्जर्वेशन दिया गया था, जिस पर डा० अनुराग मिश्रा के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिसे मैं भलीभांति पहचानता हूँ। एक्सरे रिपार्ट पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस साक्षी ने आब्जर्वेशन रिपोर्ट को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया है।

17. पी0 डब्लू0-8 सुखवेन्द्र सिंह ने अपने शपथपूर्वक बयान की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित चिक एफआईआर के लेखक राजेश कुमार को माननीय न्यायालय द्वारा तलब किया गया था किन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनका साक्ष्य अंकित नहीं किया जा सका। माननीय न्यायालय द्वारा मुझे पैरोकार को तलब किया गया जिसके आदेशानुसार मेरे द्वारा बयान अंकित किया जा रहा है। मैं थाना कल्यानपुर की सत्र न्यायालय की पत्रावली की पैरोकारी करता हूं, इस कारण मृतक राजेश कुमार के लेख व हस्ताक्षर पहचानता हूं। मु०अ०सं० 1131/10 धारा 323,504,506 आईपीसी विरूद्ध बशीर आदि दो नफर की चिक एफआईआर उनके द्वारा पंजीकृत की गयी थी। चिक एफआईआर असल रूप में पत्रावली में शामिल मिसिल है जिस पर राजेश कुमार के हस्ताक्षर मौजूद हैं। जो उनके लेख व हस्ताक्षर में हैं जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। चिक एफआईआर 29.10.2010 समय 21.50 बजे पंजीकृत की गयी थी जिसका खुलासा जीडी नम्बर 42 दिनांक 29.10.2010 समय 21.50 पर किया गया था।

18. बयान अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कथन किया कि उनके विरुद्ध गलत मुकदमा दर्ज कराया गया है। साक्षीगण के बयान को अभियुक्तगण ने गलत बताते हुए कहा है कि साक्षीगण ने झूठी कहानी बनायी है, वादी के दबाव में विवेचना हुई है। पी.डब्लू.5 ने उनके विरुद्ध कोई गवाही नहीं दी है। पास-पड़ोस की रंजिश में उन्हें फंसाया गया है। मोहल्ले की पार्टीबन्दी के कारण उनके विरुद्ध मुकदमा चला। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया।

19. अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य में डी.डब्लू.-1 के रूप में मोहम्मद सलामत को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि दिनांक 28.10.2010 को मैं दादानगर से काम करके शाम को सात बजे लौटकर रहा था। मैं चाय की दुकान पर बैठा था वहां पर मैं आठ बजे तक बैठा था। वहां पर मैंने चाय पी थी और एक दोस्त का इन्तजार किया था। इस बीच मुझे जानकारी हुयी थी संजय नशे में था और वहीं पर गिरा पड़ा हुआ था उसे चोट आयी थी। जब तक मैं वहां पर बैठा था, वहां पर बशीर, लालू, राजू और पप्पू से कोई मारपीट नहीं हुयी थी। संजय को किसी ने मारा पीटा नहीं था न ही उससे गाली गलौच किया था और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। दूसरे दिन जब मैं चाय की दुकान पर आया तो पता चला था कि बशीर, राजू, पप्पू और लालू को संजय के पिता ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया। वादी विजय बहादुर का गवाह मुन्ना लाल मामा है और गवाह अजय मुन्ना लाल

का लड़का है। मेरा बशीर, राजू, पप्पू, लालू से कोई रिश्ता नहीं है। आज मैं सही गवाही देने आया हूं। मैं बशीर के कहने पर आज गवाही देने आया हूं। बशीर ने मुझसे कहा था कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है इसलिये सही बात अदालत में बताने आया हूं।

20. अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य में डी.डब्लू.-2 के रूप में बलराम यादव को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि दिनांक 28.10.2010 को मैं रावतपुर से काम करके वापस आ रहा था, उस समय लगभग 7-7.30 बजे का टाइम था। मैं उस समय चाय के होटल पर रूका था। वहां पर मैं लगभग रात 9 बजे तक रूका था। ठेकेदार से पैसे लेने थे तो ठेकेदार ने कहा था कि वहीं रूकना तो मैं वहीं पर इन्तजार कर रहा था। इस बीच मुझे जानकारी हुयी थी कि संजय कहीं गिर गया है और उसको बहुत चोटें आयी हैं। जब तक मैं वहां पर बैठा था वहां पर कोई मारपीट नहीं हुयी थी। बशीर, राजू और पप्पू व लालू के द्वारा कोई मारपीट की गयी थी और न ही संजय के साथ कोई मारपीट की गयी थी। न ही कोई गाली गलौच हुआ था और न ही जान से मारने की धमकी दी गयी थी। दूसरे दिन फिर मैं वहां पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि लालू, राजू, बशीर और पप्पू के उपर फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया है। ये मुकदमा तेज बहादुर ने लिखाया है और इन चारों को झूठा व फर्जी फंसाया है। गवाह मुन्ना लाल का मामा विजय बहादुर है और गवाह अजय मुन्ना लाल का लड़का है। मेरी बशीर, राजू पप्पू व लालू से कोई दोस्ती यारी नहीं है, मेरे मोहल्ले के हैं और संजय भी मेरे मोहल्ले के ही हैं। बशीर ने मुझसे कहा कि मेरी उम्र 85 वर्ष हो गयी है और तुम्हें पूरी सही बात मालूम है कि मुझे झूठा फंसाया गया है तो तुम सही बात न्यायालय में बता दो चलकर, इसलिये मैं न्यायालय में बताने आया हूं।

21. राज्य के विद्वान ए0 डी0 जी0 सी0 (क्रिमिनल) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

22. अभियोजन पक्ष का कथानक यह है कि दिनांक 28.10.2010 को समय लगभग 7:30 बजे अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू एवं पप्पू कबाड़ी द्वारा एकराय होकर मजरूब संजय यादव के साथ गाली-गलौज करते हुए हाकी, सरिया, कुल्हाड़ी एवं डण्डे से मारपीट की गयी, जिससे उसे गंभीर चोटें आयीं। अभियोजन द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रत्यक्षदर्शी एवं चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं।

23. अभियोजन के संपूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, अभियुक्तगण के धारा 313 द०प्र०सं० के बयान तथा सफाई साक्ष्य का सम्यक परीक्षण करने पर इस न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय उत्पन्न होते हैं—

1. क्या दिनांक 28.10.2010 को समय लगभग 7:30 बजे मसवानपुर चौराहे पर अभियुक्तगण द्वारा संजय यादव के साथ मारपीट की गयी?

2. क्या उक्त घटना में अभियुक्तगण द्वारा गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गयी?
3. क्या अभियुक्तगण ने समान आशय से गंभीर चोट पहुँचाई तथा क्या उनका कृत्य धारा 308 IPC के अंतर्गत आता है?

<u>मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन</u>

24. साक्षी पी.डब्लू.1 ने घटना के संबंध में सशपथ अभिकथित किया है कि दिनांक 28.10.2010 को शाम 7.30 बजे उसका पुत्र संजय यादव मसवानपुर चौराहे पर विनोद की चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। उसी समय बशीर, लालू, राजू और पप्पू कबाड़ी हाथों में हॉकी, सरिया, कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और उसके लड़के को गंदी-गंदी गालियां देने लगे। मना करने पर लिये हुए हथियारों से मारने लगे। उसके लड़के को मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। घटना के कारण के विषय में इस साक्षी की मुख्य परीक्षा में आया है कि इसके लड़के की अभियुक्त बशीर के परिवार वालों से एक-दो दिन पहले कहासुनी हुई थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि शोर सुनकर वह मौके पर पहुंच गया था। जिस समय वह पहुंचा, उसके पुत्र की हालत खून से लथपथ थी। आगे प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बताया है कि झगड़ा अचानक हुआ था। उसने मुल्जिमानों को अच्छी तरह से देखा था। घटना का इंजर्ड (घायल) साक्षी पी.डब्लू.-2 संजय यादव ने वादी के कथनों का समर्थन किया है और घटनास्थल विनोद चाय वाले की दुकान बताया है और अभियुक्तगण के द्वारा लाये हुए हथियार, जिसमें विशिष्ट रूप से बताया है कि राजू के पास कुल्हाड़ी, लालू के पास सरिया, पप्पू कबाड़ी के हाथ में डंडा और बशीर के हाथ में हॉकी था। आगे यह कहा कि पहले उन लोगों ने गाली दी थी, फिर उसके ऊपर हमला कर दिया। इस साक्षी के बयान से पी.डब्लू.-1 के इस कथन की पुष्टि होती है कि वादी घटनास्थल पर शोर सुनकर आया था। इस साक्षी के द्वारा यह भी कहा गया है कि घटना से पहले उसकी बच्चों को लेकर बशीर से कहासुनी हुई थी। इस प्रकार पी०डब्लू०-1 विजय बहादुर (वादी) एवं पी०डब्लू०-2 संजय यादव (मजरूब) ने घटना का स्पष्ट, स्वाभाविक एवं सुसंगत विवरण दिया है। दोनों साक्षियों ने अभियुक्तगण की उपस्थिति, उनके हाथों में हथियार होना तथा मारपीट की घटना को स्पष्ट रूप से बताया है। पी०डब्लू०-2 घायल साक्षी है तथा विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि घायल साक्षी की गवाही का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वह वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी अन्य को झूठा फंसाने की संभावना कम रखता है। मजरूब/घायल साक्षी PW-2 संजय यादव ने घटना का प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट विवरण दिया है कि अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू तथा पप्पू कबाड़ी हथियारों सहित आये, गाली दी और मना करने पर मारपीट की, जिससे उसके सिर तथा हाथ में चोटें आयीं तथा अंगुली टूट गयी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-“An injured witness comes with a built-in

guarantee of his presence at the scene and convincing evidence is required to discredit him."अर्थात घायल साक्षी की उपस्थिति स्वयं उसकी चोटों से प्रमाणित होती है और उसकी गवाही को तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब गंभीर विरोधाभास या अविश्वसनीयता सिद्ध हो। वर्तमान प्रकरण में PW-2 स्वयं घायल है। उसकी जिरह से ऐसा कोई तथ्य नहीं निकला जिससे उसकी उपस्थिति अथवा घटना का मूल स्वरूप संदिग्ध हो। अतः उसकी गवाही अत्यंत विश्वसनीय प्रतीत होती है।

25. बचाव पक्ष का तर्क है कि घटना के काफी दिन मजरूब संजय यादव का बयान लिया गया है, इससे प्रकरण की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में पी.डब्लू.-4 विवेचक के प्रतिपरीक्षा का यह बयान महत्वपूर्ण है कि मजरूब गंभीर रूप से घायल था, घटना के प्रारम्भ में बयान लेने का प्रयास किया था। चोट गंभीर होने के कारण तत्काल बयान नहीं हो पाया था, इसलिए मजरूब के सामान्य होने पर विलम्ब से बयान लिया गया था। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क में बल नहीं पाया जाता है।

26. पी०डब्लू०-3 मुन्नालाल यादव तथा पी०डब्लू०-6 सुदामा तिवारी ने भी घटना का समर्थन किया है। यद्यपि पी०डब्लू०-3 ने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसे झगड़े की जानकारी और लोगों से जानकारी हुई थी। पुनः अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर उसने अपनी मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान कि, 'मारपीट में घायल संजय गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया था, लोग इलाज हेतु अस्पताल ले गये थे', के संबंध में स्वीकार किया है कि जब उसने यह बयान दिया था, तब वह पूरी तरह स्वस्थ था। पी.डब्लू.-5 अजय कुमार यादव अभियोजन का पूर्ण समर्थन नहीं कर पाया और उसने कहा कि वह झगड़ा देखने नहीं गया और यह स्वीकार किया है कि दिनांक 28.10.2010 को शाम 7.30 बजे उसकी दुकान से लगभग 50 मीटर की दूरी पर झगड़ा हुआ था अर्थात् इस साक्षी ने घटना से इंकार नहीं किया है। तथापि मात्र साक्षी के आंशिक प्रतिकूल हो जाने से सम्पूर्ण अभियोजन कथानक अविश्वसनीय नहीं हो जाती, विशेषतः तब जबकि अन्य साक्ष्य विश्वसनीय हों।

27. बचाव पक्ष का तर्क है कि PW-1 विजय बहादुर (वादी), PW-3 मुन्नालाल मजरूब के संबंधी अथवा परिचित/नाते-रिश्तेदार हैं, इसलिए उनकी गवाही को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। उक्त के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है—"Relationship is not a factor to affect credibility of a witness." अर्थात मात्र संबंध या परिचय के आधार पर गवाही अस्वीकार नहीं की जा सकती; परीक्षण उसकी विश्वसनीयता पर होगा। PW-3 एवं PW-6 की गवाही घटना के मूल भाग पर एक-दूसरे से तथा PW-2 से संगत है। यद्यपि PW-5 अजय कुमार ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, तथापि यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी एक गवाह के प्रतिकूल होने मात्र से संपूर्ण अभियोजन असत्य नहीं हो जाता, यदि अन्य विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध हों।

28. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि घटनास्थल पर जिस विनोद चाय वाले की दुकान का जिक्र किया गया है, उक्त विनोद चाय वाले को अभियोजन ने परीक्षित नहीं किया है। उक्त के संबंध में अभियोजन के द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि विनोद चाय वाले ने विवेचक को यह बयान दिया है कि घटना के समय वह सामान लेने चला गया था, उसे बाद में पता चला कि संजय यादव को गंभीर चोटें लगी थी। अभियोजन द्वारा बताये गये इस आधार पर विनोद को को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क में भी बल नहीं पाया जाता है।

29. चिकित्सीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन ने डाक्टर विकास गुप्ता को पी.डब्लू.-7 के रूप में परीक्षित कराया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 01.11.2010 को उसने मरीज संजय के बायें हाथ की कलाई का एक्स-रे किया था, जिसमें सेकेण्ड मेटेल कार्पर का फ्रैक्चर पाया गया था तथा मिडिल फिंगर में भी फ्रैक्चर था। प्रतिपरीक्षा में कहा है कि डाक्टर ओ.पी. मिश्रा के रिफर करने पर एक्सरे कराया था। इस साक्षी के द्वारा अपने द्वारा दी गयी आब्जर्वेशन को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया गया है। पत्रावली पर घायल साक्षी संजय यादव का मेडिकोलीगल रिपोर्ट दाखिल है, जिसे डाक्टर आर. पी. पाठक के द्वारा तैयार किया गया है, परन्तु रिपोर्ट के पुष्ट पर अंकित है कि डाक्टर आर.पी. पाठक की मृत्यु हो चुकी है। जिस कारण उन्हें अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया जा सका है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि मजरूब संजय यादव को फ्रैक्चर सहित गंभीर चोटें आयीं। यह चोटें अभियोजन कथन के अनुरूप हैं और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पुष्टि करती हैं। चिकित्सीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है जिससे अभियोजन की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। PW-7 डा० विकास गुप्ता द्वारा प्रदर्श क-4 आब्जर्वेशन रिपोर्ट सिद्ध की गयी, जिसमें fracture पाया गया। इससे अभियोजन कथन कि संजय को गंभीर चोटें आयीं, पुष्ट होता है। अभियोजन की मौखिक साक्ष्य और चिकित्सकीय साक्ष्य में कोई ऐसा मूलभूत विरोधाभास नहीं है जिससे घटना असत्य प्रतीत हो।

30. अभियुक्तगण ने धारा 313 द०प्र०सं० के कथनों में स्वयं को झूठा फंसाया जाना बताया है तथा मोहल्ले की रंजिश का कारण बताया है। डी.डब्लू.-1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घायल साक्षी संजय को सिर पर कुछ चोटें और कुछ हाथ में चोटें आयी थी और स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त पप्पू के बताने के अनुसार कह सकता है कि इन लोगों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ था। इस साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा घटना नहीं देखी गयी है। बचाव पक्ष द्वारा परीक्षित डी०डब्लू०-1 मोहम्मद सलामत एवं डी०डब्लू०-2 बलराम यादव ने यह कहा कि मजरूब नशे की हालत में गिरकर घायल हुआ था और कोई मारपीट नहीं हुई थी। किन्तु बचाव पक्ष के दोनों साक्षियों के कथनों में पर्याप्त स्वाभाविकता नहीं पायी जाती। दोनों साक्षियों ने स्वयं स्वीकार किया कि वे अभियुक्त बशीर एवं पप्पू के कहने पर न्यायालय में गवाही देने आये हैं। डी.डब्लू.2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा

है कि उसने कोई घटना नहीं देखी और अभियोजन साक्षी संजय के शराब पीने वाली जो बाते है, उसने सुनी-सुनाई बातों के आधार पर बतायी है और यह भी स्वीकार किया है कि संजय यादव के चोटें थी। इस प्रकार साक्षीगण के कथन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रतीत नहीं होते। इसके अतिरिक्त उनका कथन चिकित्सीय साक्ष्य से भी समर्थित नहीं है। यदि मजरूब स्वयं गिरा होता तो उसके शरीर पर विभिन्न हथियारों से आयी चोटों तथा फ्रैक्चर की स्थिति का संतोषजनक स्पष्टीकरण बचाव पक्ष नहीं दे सका है।

31. इस प्रकार अभियोजन की ओर प्रस्तुत प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि घायल साक्षी संजय यादव के साथ मारपीट एवं fracture चिकित्सकीय एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध होना पाया जाता है। साथ ही अभियोजन साक्षियों ने एकरूपता से कहा कि अभियुक्तगण ने गंदी गालियाँ दीं और झगड़ा उत्पन्न किया। घटना के उपरांत अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने का कथन PW-1, PW-2 एवं PW-6 द्वारा किया गया है। तदनुसार विचारणीय बिन्दु 1 व 2 अभियोजन के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

32. जहां तक अभियोजन ने अभियुक्तगण पर धारा 308 IPC का आरोप लगाया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि अभियुक्तगण का आशय या ज्ञान ऐसा था जिससे यह कहा जा सके कि यदि मृत्यु हो जाती तो वह अपराध गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता। यद्यपि मारपीट गंभीर थी, परन्तु चोटें शरीर के ऐसे संवेदनशील भाग पर उस प्रकृति की सिद्ध नहीं हुई हैं जिससे अभियुक्तों की हत्या सदृश मंशा सिद्ध हो सके। धारा 308 IPC हेतु यह आवश्यक है कि कृत्य ऐसा हो जो यदि मृत्यु हो जाती तो culpable homicide not amounting to murder का अपराध बनता, अर्थात मृत्यु कारित करने का आशय या ऐसी जानकारी हो। यद्यपि अभियुक्त हथियारों सहित आये और मजरूब के सिर पर चोटें आयीं, तथापि अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि चोटें स्वभावतः मृत्युकारक थीं या अभियुक्तों का ऐसा आशय/ज्ञान संदेह से परे सिद्ध हुआ हो। एक्स-रे रिपोर्ट fracture दर्शाती है, परन्तु कोई ऐसी चिकित्सकीय राय नहीं है कि चोटें जीवन के लिए घातक थीं या मृत्यु कारित करने की प्रकृति की थीं। अतः केवल सिर पर चोट होना स्वतः धारा 308 IPC को सिद्ध नहीं करता। तदनुसार विचारणीय बिन्दु संख्या-3 अभियोजन के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

33. अभियोजन, PW-2 घायल साक्षी की विश्वसनीय गवाही, PW-1, PW-3 एवं PW-6 के समर्थन तथा चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू एवं पप्पू कबाड़ी ने समान आशय से संजय यादव के साथ मारपीट की तथा उसे गंभीर चोटें पहुँचायीं। अतः अभियोजन ने निम्न अवयवों को संदेह से परे साबित किया है-

1. अभियोजन साक्ष्य से गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी सिद्ध होती है।

2. अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू एवं पप्पू कबाड़ी के विरुद्ध यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि उन्होंने एकराय होकर मजरूब संजय यादव के साथ मारपीट की, गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी, जिससे मजरूब को साधारण एवं गंभीर चोटें आयीं।
3. अतः अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू एवं पप्पू कबाड़ी का अपराध धारा 323/34, 325/34, 504 एवं 506 IPC के अंतर्गत संदेह से परे सिद्ध होता है।
4. किन्तु अभियोजन पक्ष धारा 308 IPC के आवश्यक तत्व मृत्यु कारित करने का आशय अथवा ऐसा ज्ञान संदेह से परे सिद्ध नहीं करने में असफल रहा है। अतः इस धारा में अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

34. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू एवं पप्पू कबाड़ी को धारा 323/34, 325/34, 504 एवं 506 IPC के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा धारा 308/34 IPC के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

35. अभियुक्तगण बशीर, राजू व लालू जेरे जमानत व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। अभियुक्त पप्पू कबाड़ी न्यायालय में उपस्थित नहीं है। अभियुक्त पप्पू कबाड़ी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी हो। अभियुक्तगण के सापेक्ष दण्ड के बिंदु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 04.06.2026 को पेश हो। दिनांक 04.06.2026 को अभियुक्तगण बशीर, राजू व लालू जिला कारागार से तलब हो तथा अभियुक्त पप्पू कबाड़ी जरिए गैर जमानतीय वारण्ट तलब हो।

दिनांक-**03.06.2026**

(सपना त्रिपाठी-I)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01,
कानपुर नगर।
आई 0 डी0 यू0 पी0 6103

04.06.2026

पत्रावली आज अभियुक्तगण लालू, बशीर, राजू व पप्पू कबाड़ी के विरुद्ध दण्ड के बिंदु पर सुनवाई हेतु नियत है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण बशीर, राजू व लालू जिला कारागार से तलब होकर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त पप्पू कबाड़ी न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया। अभियुक्त पप्पू कबाड़ी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। दोषसिद्ध अभियुक्तगण व उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण अत्यंत गरीब है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त बशीर एक 92 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। प्रकरण लगभग 16 वर्ष पूर्व का है। अभियुक्तगण अपने परिवार के अर्जक सदस्य है तथा अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाले एकमात्र व्यक्ति है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने की याचना की गयी है अन्यथा उन्हें कम सजा देकर सुधार का अवसर दिये जाने की याचना की गयी है। जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण के प्रति नरमी न बरतते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

सुना। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण में से अभियुक्त बशीर वृद्ध व्यक्ति है। प्रकरण वर्ष 2010 का है। अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय में उपस्थित आते रहे हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियोजन पक्ष की ओर से दोषसिद्ध अभियुक्तगण का पूर्व का कोई दोषसिद्धि का आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। पीड़ित को ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं है, जो उसके शरीर के संवेदनशील भाग पर आयी हो। न्यायालय की राय में दोषसिद्ध अभियुक्तगण के प्रति सुधारवादी रुख अख्तियार किया जाना उचित होगा। अतः दोषसिद्ध अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू कबाड़ी को परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ देकर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

I) सत्र परीक्षण संख्या-793/2012, मुकदमा अपराध संख्या-1131/2010 में अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू कबाड़ी को धारा 308 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

II) सत्र परीक्षण संख्या-793/2012, मुकदमा अपराध संख्या-1131/2010 में अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू कबाड़ी को धारा 323,325,504,506 भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध मानते हुए, प्रत्येक अभियुक्त को छः माह के परिवीक्षा अवधि के लिए मुक्त किया जाता है।

III) दोषसिद्ध अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू कबाड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे परिवीक्षा अवधि के दौरान सदाचार व नेक चाल-चलन व शांति बनाये रखेंगे तथा

किसी प्रकार की आपराधिक घटना में न तो लिप्त होंगें, न ही किसी आपराधिक घटना की पुनरावृत्ति करेंगे।

IV) दोषसिद्ध अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू कबाड़ी द्वारा परिवीक्षा अवधि के अंदर यदि किसी प्रकार का अपराध कारित किया जाता है या प्रस्तुत किये गये बंधपत्र का उल्लंघन किया जाता है, तो उन्हें पुनः तलब कर सजा के बिंदु पर सुनवाई कर दंडित किया जाएगा।

V) दोषसिद्ध अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू कबाड़ी सदाचार व नेक चाल-चलन बनाये रखने के संबंध में प्रत्येक अभियुक्त रुपये बीस हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि की एक प्रतिभू, जिला परिवीक्षा अधिकारी, कानपुर नगर के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

VI) जिला परिवीक्षा अधिकारी, कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वे दोषसिद्ध अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू कबाड़ी द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र व जमानत प्रपत्रों की जांच कर, परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक माह में एक बार अपने समक्ष उपस्थित कराया जाना सुनिश्चित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण परिवीक्षा अवधि के दौरान पुनः किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त तो नहीं है।

VII) आदेश की एक प्रति परिवीक्षा अधिकारी, कानपुर नगर को आदेश अनुपालन हेतु अविलंब प्रेषित की जाए। दोषसिद्ध अभियुक्तगण बशीर, लालू, राजू व पप्पू कबाड़ी 10 दिवस के अंदर जिला परिवीक्षा अधिकारी, कानपुर नगर के समक्ष जमानत प्रपत्र व बंधपत्र दाखिल करने हेतु उपस्थित हों।

VIII) अभियुक्तगण बशीर, लालू व राजू का रिहाई आदेश जिला कारागार प्रेषित हो। अभियुक्तगण यदि अन्य किसी मामले में वांछित न हो तो उन्हें उक्त प्रकरण में अविलंब रिहा किया जाए।

दिनांक-**04.06.2026**

(सपना त्रिपाठी-I)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01,
कानपुर नगर।
आई 0 डी0 यू0 पी0 6103

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

दिनांक-**04.06.2026**

(सपना त्रिपाठी-I)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01,
कानपुर नगर।
आई 0 डी0 यू0 पी0 6103

Digitally signed by Sapna Tripathi
Date: 2026.06.05 11:15:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court